संख्या- 94/2020 /3251 /71-1-2020-जी-133/2018टी0सी0-4

प्रेषक,

आलोक कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 18 अगस्त, 2020

विषयः- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान में 300 बेडेड कोविड अस्पताल का संचालन किये जाने हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय के निमित्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 में मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/कोविड-19/1041, दिनाँक 16-08-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर मण्डल में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की बढती संख्या के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान में दिनाँक 30.08.2020 तक 300 बेड के लेवल-3 के कोविड अस्पताल की स्थापना एवं संचालन किये जाने की अपरिहार्यता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत संलग्न सूची में उल्लिखित उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-"मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष रू0 8,29,06,912.00 (रू0 आठ करोड़ उन्तीस लाख छः हजार नौ सौ बारह मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माणाधीन 500 बेडेड सुपर स्पेशिलियटी बाल चिकित्सा संस्थान में 300 बेडेड लेवल-3 फैसिलिटीयुक्त डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल जिसमें 100 बेड आई0सी0यू0 तथा 200 बेड आईसोलेशन हेतु होगे, की स्थापना एवं संचालन हेतु दिनांक 30.08.2020 तक आवश्यक उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

2- प्रश्नगत उपकरणों के क्रय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके स्पेसिफिकेशन सक्षम स्तर से अनुमोदित हो। यदि डेडिकेटेड कोविड हास्पिटल के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु ऐसे किसी उपकरण की आवश्यकता है, जिसका स्फेसिफिकेशन अनुमोदित नहीं है, तो उसका स्फेसिफिकेशन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा निर्धारित कर समयान्तर्गत क्रय एवं स्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उपर्युक्तानुसार प्रदत्त अनुमति मात्र इस कोविड-19 हास्पिटल हेतु ही है।

3- उपर्युक्तानुसार दी जा रही अनुमति मात्र उपकरणों के क्रय के लिए होगी न कि सर्जिकल एवं कन्ज्युमेबिल आइटम के लिए।

4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संलग्न तालिका में उल्लिखित उपकरणों का क्रय किसी विशिष्ट मॉडल एवं आपूर्तिकर्ता से नहीं किया जायेगा।

5- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।

6- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया एवं आडिट आदि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

7- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

8- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- उपकरणों के क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

11 उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

13- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

14- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

15- संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टलसे संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-65-मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संजग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(आलोक कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या:- 94/2020/3257 (1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- संबंधित जिलाधिकारी।
3- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या– 94/2020 /3257 /71–1–2020–जी–133/2018टी0सी0–4,
दिनॉक 18 अगस्त, 2020 का संलग्नक

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 बेडेड बाल रोग चिकित्सा संस्थान

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	वांछित मात्रा	अनुमानित प्रति नग दरें (कर सहित)	कुल योग (कर सहित)
1.	High End ICU Ventilator	30	**17,00,000.00**	**5,10,00,000.00**
2.	Infusion Pumps	200	**44,800.00**	**8,960000.00**
3	Glucometer & Glucometer Strip (Pack of 100)	20	**1300.60**	**26,012.00**
4	Multipara Monitor (Cardiac) Wall Monitor with Accessories	50	**95,200.00**	**4,760,000.00**
5	High Flow Nasal Canula	50	**3,06,546.00**	**15,327,300.00**
6	Pulse Oximeter-Finger Tip	50	**56,672.00**	**28,33,600.00**
			Total	8,29,06,912.00

(रू0 आठ करोड़ उन्तीस लाख छः हजार नौ सौ बारह मात्र)

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव